

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मुख्यालय म0प्र0

परिपत्र क्रमांक :29:

क्रमांक / 1348 / वित्त(1)बजट / 2018,

भोपाल, दिनांक 31 जून 2018

वर्तमान में स्वयंसेवी होमगार्डों को देय निम्न स्वत्वों की स्वीकृति मुख्यालय स्तर से दी जा रही है, जिसे संशोधित कर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षणोपरान्त स्वीकृतियों के प्राधिकार डिवीजनल कमाण्डेण्टस् को सौंपे जाते हैं :-

- (1) निर्धारित आयु पूर्ण होने पर सेवा-मुक्ति पर नगर सेना की संचिति से निर्धारित शर्तों के अधीन मानदेय राशि को भुगतान की स्वीकृति तथा सेवा के दौरान मृत्यु पर मृतक के परिवारजन को नगर सेना की संचिति से मानदेय राशि के भुगतान की स्वीकृति ।
(म0प्र0शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2(अ)118/2012/बी-4/2, दिनांक 06-2-2013 एवं आदेश क्रं0 एफ-2(अ)118/2012/बी-4/2, दिनांक 13-5-2015)
- (2) सेवा के दौरान मृत्यु पर मृतक होमगार्ड के परिवारजन को करुणा भत्ता की राशि रु. 50,000/- तथा दाह-संस्कार की राशि रु.1,000/- के भुगतान की स्वीकृति ।
(म0प्र0शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2(अ)118/2012/बी-4/2, दो दिनांक 18-2-2013 एवं आदेश क्रं0 एफ-2(अ)78/2004/बी-4/दो, दिनांक 08-03-2004)
- (3) कर्तव्य के दौरान मृत्यु/घायल होने पर अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति ।
(म0प्र0शासन, गृह विभाग का पत्र क्रमांक एफ-2(अ)189/2808/2010/बी-3/दो, दिनांक 02-02-2011)
- 4- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(महान भारत सागर)

महानिदेशक,

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एवं
आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / 1349 / वित्त(1)/बजट / 2018,

भोपाल, दिनांक 31 जून 2018

प्रतिलिपि :-

- 1- कमाण्डेण्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड, मंगेली, जबलपुर।
- 2- समस्त डिवीजनल कमाण्डेण्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-
 - (1) आप अपने अधीनस्थ जिला सेनानियों से वर्ष में सेवा-मुक्ति होने वाले होमगार्डों की सूची प्राप्त कर उनके प्रकरण सेवा-मुक्ति की तिथि से 6 माह पूर्व प्राप्त करें तथा प्रकरण के परीक्षण में नियमों एवं प्रावधानों का भलि प्रकार से पालन करते हुये दावों में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

- (2) करुणा भत्ता, दाह-संस्कार राशि तथा अनुग्रह राशि के प्रस्तावों का परीक्षण कर स्वीकृति पश्चात् स्वीकृति आदेश की एक प्रति तत्काल प्रेषित करेंगे, ताकि संबंधित को भुगतान किये जाने हेतु आवण्टन उपलब्ध कराया जा सके।
- 3- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट, होमगार्ड, म0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-
- (1) नगर सेना की संचिति से भुगतान के प्रकरण उनकी सेवा-मुक्ति तिथि से 6 माह पूर्व तैयार कर सूक्ष्मता से परीक्षण कर त्रुटि रहित प्रस्ताव डिवीजनल कमाण्डेण्ट को भेजा जावे।
 - (2) वित्तीय वर्ष में होने वाले नगर सेना की संचिति से मानदेय राशि के भुगतान का अनुमनित आंकलन किया जाकर आवण्टन हेतु वित्तीय वर्ष के पूर्व प्रस्ताव मुख्य रूप से भेजा जावे।
 - (3) मृतक होमगार्ड के परिवारजन को देय लाभ का प्रकरण सर्वोच्च प्राथमिकता में तैयार कर डिवीजनल कमाण्डेण्ट को भेजा जावे।
 - (4) प्रकरणों के निराकरण में पूर्ण प्रयास किया जावे कि भुगतान में किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब न हो।
 - (5) प्रकरण के विलंब की स्थिति में विलंब का कारण सहित संबंधित की जवाबदारी निर्धारित कर नाम एवं पदनाम प्रस्ताव में स्पष्ट लेख किया जावे।


महानिदेशक,
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

आन्तरिक:-

पीएस टू डी0जी0

पीएस टू ए0डी0जी0(एचजी)

पीएस टू ए0सी0जी0

समस्त एसएसओ/जे0एस0ओ0

उप संचालक(वित्त)/लेखाधिकारी

कार्या0अधीक्षक/रिकार्ड शाखा.